

## राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण

### क राजकोषीय नीति की समीक्षा

1. वर्ष 2015-16 में सरकार की बृहत आर्थिक नीति का उद्देश्य पिछले वर्ष में शुरू किए गए सुधार पर आगे बढ़ना था। नीतिगत बल विकास के पुनरुद्धार को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थिर बृहत आर्थिक माहौल का संवर्धन पर दिया जा रहा था। वर्ष 2014-15 में शुरू किए गए सुधारों में अर्थव्यवस्था में मौजूद अड़चनों को हटाना, संरचनागत बाधाओं को हटाना, उद्योग एवं उद्यम को बढ़ावा देना तथा विदेशी निवेश के अंतर्वाहों में वृद्धि करना शामिल है। कारोबार करने में आसानी लाने के लिए, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कवरेज को बढ़ाकर और वित्तीय समावेशन के उपायों को और गहन बनाकर कार्यक्रम सुपुर्दगी के निष्पादन में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए गए। ये सुधार उपाय 2015-16 में और आगे बढ़ाए गए।

2. उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप, भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से विकसित होती। अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2015-16 में स्थिर बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. वृद्धि 7.6 प्रतिशत होने का अनुमान है जो तुलनीय आकार के किसी भी देश की तुलना में अधिक है। राजकोषीय विवेक अपनाने, कमतर महंगाई, कमतर चालू लेखा घाटे और वधिति विदेशी मुद्रा भंडारों की स्थिति बने रहने से व्यापक बृहत आर्थिक स्थितियों में काफी सुधार हुआ है।

3. वर्ष 2015-16 की राजकोषीय नीति चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में तैयार की गई थी। सरकार को कम हो गई राजकोषीय गुंजाइश के साथ विकास एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के बृहत आर्थिक उद्देश्यों में सहायता करनी थी। ऐसा राजकोषीय समेकन के मार्ग पर बढ़ते हुए, उपलब्ध राजकोषीय गुंजाइश के भीतर अवसंरचना निवेशों पर परिव्यय को बढ़ाकर हासिल किए जाने का प्रयास किया गया। ऐसा करने के लिए, सरकार ने अपनी व्यय नीति में बदलाव किया ताकि प्रमुख विकास स्कीमों को समेकित किया जा सके एवं उनपर ध्यान दिया जा सके। इसके साथ-साथ, कर और कर-भिन्न राजस्व को बढ़ाने के लिए भी उपाय किए गए। बृहत आर्थिक और राजकोषीय मोर्चों पर किए गए दोनों उपायों का प्रभाव सकारात्मक रहा है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में गिरावट से मदद मिली। यह सभी राजकोषीय मापदंडों पर बेहतर निष्पादन के साथ आर्थिक विकास और स्थिरता के बढ़ते रुझानों में परिलक्षित होते हैं।

4. जैसाकि चौदहवें वित्त आयोग ने पाया है, सरकार ने व्यय और राजस्व में दोनों मोर्चों पर मौजूद संरचनागत असंतुलों को कम करने के लिए सकारात्मक उपाय किए हैं। व्यय के मोर्चे पर, पूंजी व्यय में वृद्धि करने और आयोजना-भिन्न उपभोग व्यय में हो रही वृद्धि पर काबू पाने के लिए उपाय किए गए। प्राप्तियों के मोर्चे

पर भी, कर और कर-भिन्न राजस्व दोनों में वृद्धि करने के लिए उपाय किए गए ताकि करों के विभाज्य पूल में घटे हुए हिस्से को प्रतिसंतुलित किया जा सके। राजकोषीय समेकन के मार्ग पर चलते रहने के साथ-साथ घटी हुई राजकोषीय गुंजाइश और अधिक निवेश व्यय की जरूरत के स्पष्टतया भिन्न उद्देश्यों के लिए बहुत सावधानी से संतुलन बनाए रखना जरूरी था। जैसाकि बाद में सामने आया, सरकार की राजकोषीय नीति के उत्साहवर्धन परिणाम सामने आए हैं।

5. 2015-16 में सरकार की व्यय नीति व्यय को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया को जारी रखने में परिलक्षित होती है जो राजस्व-पूंजी व्यय के असंतुलन में काफी सुधार करके लागू की गई। ब.अ. 2015-16 में कुल व्यय 2014-15 के स.घ.उ. के 13.3 प्रतिशत की तुलना में स.घ.उ. का 12.6 प्रतिशत अनुमानित था। पूर्ण मूल्यों के अर्थ में यह 2014-15 में किए गए कुल व्यय की तुलना में 6.8 प्रतिशत की साधारण वृद्धि थी। तथापि, स.घ.उ. के अग्रिम अनुमानों के अनुसार कुल व्यय सं.अ. 2015-16 में संशोधित करके स.घ.उ. का 13.2 प्रतिशत कर दिया गया है जो मुख्यतः स.घ.उ. अनुमानों में किए गए संशोधन के कारण है। बजटीय अनुमानों की तुलना में कुल व्यय में हुई वास्तविक वृद्धि अनुमानित संदर्भ में केवल 7,914 करोड़ रुपए अथवा स.घ.उ. के अनुपात में मात्र 0.06 प्रतिशत है।

6. वर्ष 2015-16 के संशोधित अनुमानों में, आयोजना व्यय के घटक को 2.6 प्रतिशत की वृद्धि करके मामूली-सा बढ़ा दिया गया है। हालांकि, आयोजना-भिन्न व्यय के लिए प्रावधान में ब.अ. 2015-16 के प्रावधानों की तुलना में संशोधित अनुमानों में 0.3 प्रतिशत की गिरावट देखी जा रही है। खाद्य सब्सिडी (15,000 करोड़ रुपए) और बैंक पुनर्पूजीकरण (19,000 करोड़ रुपए) के लिए वर्ष के दौरान दी गई बड़ी सहायता को समायोजित करते हुए समग्र व्यय पर काबू पा लिया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में, राजस्व पूंजी अनुपात में भी पर्याप्त सुधार हुआ है। सरकार का पूंजी व्यय 2014-15 के कुल व्यय के 11.8 प्रतिशत से बढ़कर सं.अ. 2015-16 में 13.3 प्रतिशत हो गया, जो 2007-08 से सर्वाधिक है।

7. कर के मोर्चे पर, केंद्र के सकल कर राजस्व पिछले कुछ वर्षों से स.घ.उ. के 10 प्रतिशत की रेंज में गतिहीन रहे हैं। वित्त वर्ष 2014-15 में, सकल कर और स.घ.उ. का अनुपात 9.9 प्रतिशत दर्ज किया गया जबकि ब.अ. 2015-16 में यह 10.3 प्रतिशत के स्तर पर अनुमानित था। 2015-16 की कर नीति पिछले वर्षों में अपेक्षाकृत कर में कम उछाल को देखते हुए अधिक यथार्थपरक विकास अनुमान पर आधारित थी। प्रत्यक्ष करों से संबंधित नीति साधारण-कर दरों की व्यवस्था को बनाए रखते हुए कर-आधार विस्तृत करने पर केंद्रित रही। अप्रत्यक्ष करों के संबंध में बुनियादी उद्देश्य यह था कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाए, कर

संबंधी कानूनों में अधिक स्पष्टता लाई जाए, स्थिर दरें बनाए रखी जाएं और कर-संरचना को युक्तिसंगत बनाया जाए।

8. सं.अ. 2015-16 में, सकल कर- स.घ.उ. अनुपात के और बढ़कर स.घ.उ. का 10.8 प्रतिशत होने का अनुमान है। अनुमानित संदर्भ में, यह 2014-15 की तुलना में यह 17.2 प्रतिशत वृद्धि होगी। यह पिछले वित्त वर्ष में हासिल 9.3 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले है। उत्पाद शुल्क के जरिए अप्रत्यक्ष करों में हुई काफी अधिक वृद्धि में न सिर्फ अपेक्षाकृत कम प्रत्यक्ष कर संग्रहण की प्रतिपूर्ति की बल्कि सकल कर राजस्व के संबंध में लक्ष्य से अधिक भी मामूली उपलब्धि हासिल की। तथापि, बजट अनुमानों की तुलना में सं.अ. 2015-16 में सकल कर और स.घ.उ. अनुपात में हुआ उल्लेखनीय सुधार का कारण मुख्यतः वर्ष के लिए स.घ.उ. के संशोधित अनुमानों को कहा जा सकता है। सकल कर राजस्व में मामूली वृद्धि और उसी के भीतर वर्धित उपकर घटक के चलते केंद्र को प्राप्त निवल कर राजस्व में सं.अ. 2015-16 में वृद्धि हो गई है।

9. विभाज्य पूल से करों के अपेक्षाकृत कम हिस्से के संदर्भ में, कर-भिन्न राजस्व केंद्र के लिए वित्तपोषण का महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। कर-भिन्न राजस्व का हिस्सा अब तीन प्रमुख अप्रत्यक्ष करों में से किसी के भी स्तर के बराबर है। 2014-15 के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में, बजट 2015-16 में कर-भिन्न राजस्व में 12.1 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों के लिए लाभांश दरों को बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने जैसी कतिपय नीति कार्रवाइयों और आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत अनुमान से अधिक प्राप्तियों की मदद से सं.अ. 2015-16 में, बजट अनुमानों की तुलना में और अधिक वृद्धि दर्ज होने की संभावना है। कर-भिन्न राजस्व के बजटीय अनुमानों की तुलना में, सं.अ. 2015-16 में लगभग 16.6 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

10. कर और कर-भिन्न प्राप्तियों दोनों में अधिक वृद्धि होने के कारण, केंद्र की कुल राजस्व प्राप्तियों में सं.अ. 2015-16 में उर्ध्वगामी संशोधन किया गया है जो ब.अ. 2015-16 की तुलना में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी हिस्से के विनिवेश (स्ट्रैटजिक विनिवेश सहित) से हुई प्राप्तियां बजट अनुमानों की तुलना में कम बनी हुई हैं। 2015-16 में इनके 69,500 करोड़ रुपए होने की बजटीय व्यवस्था थी। तथापि, वर्ष के अधिकांश के दौरान अत्यधिक अनिश्चित बाजारों स्थितियां बने रहे के चलते, सरकार से निर्णय लिया कि अधिक सतर्क नीति अपनाई जाए और विनिवेश के मार्ग पर धीरे चला जाए। सं.अ. 2015-16 में इस लक्ष्य को कम करके 25,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

11. वर्ष 2015-16 की तीसरी तिमाही (अप्रैल-दिसम्बर, 2015) के अंत में, सकल कर राजस्व पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि के 58.3 प्रतिशत की तुलना में बजट अनुमानों का 66.5 प्रतिशत था। इसी प्रकार, कर राजस्व (केंद्र को निवल) पिछले वर्ष की तदनु रूप

अवधि के 55.8 प्रतिशत की तुलना में बजट अनुमानों का 67.6 प्रतिशत था। कर-भिन्न राजस्व से हुई वसूली पिछले वर्ष के 69.7 प्रतिशत की तुलना में, पहली तीन तिमाहियों के दौरान बजटीय अनुमानों 81.9 प्रतिशत के स्तर पर कहीं अधिक रही हैं। राजस्व मोर्चे पर उपर्युक्त निष्पादन और सब्सिडी सुधार एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) आदि जैसे चल रहे सुधारों सहित राजकोषीय विवेक और व्यय प्रबंधन के लिए किए गए उपायों को देखते हुए, यह अनुमान है कि वर्षांत परिणाम बजटीय लक्ष्यों की तुलना में काफी सुधार दिखाएंगे।

12. संक्षेप में कहें तो, 2015-16 में सरकार की राजकोषीय नीति ने स्पष्ट सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। वर्ष के दौरान राजकोषीय परिणामों के रूझान ब.अ. चरण पर किए गए अनुमानों की तुलना में सुधार दिखा रहे हैं। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में सरकार का पूंजी व्यय और कर- स.घ.उ. अनुपात के 2007-08 के बाद से अधिकतम होने की संभावना है। कर-भिन्न राजस्व में भी बजट अनुमानों की तुलना में काफी वृद्धि हुई है। इस तरह पैदा हुई अधिक राजकोषीय गुंजाइश ने सरकार को व्यय में बड़ी कटौती का सहारा लिए बिना, स.घ.उ. अनुपात के रूप में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर बने रहना समर्थ बनाया है। सरकार की राजकोषीय नीति ने अर्थव्यवस्था में विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने के बृहत आर्थिक उद्देश्यों की सहायता करने में भी योगदान किया है। यह नीति ऐसे समय पर खास तौर पर बड़ी महत्वपूर्ण रही है जब निजी क्षेत्र से आने वाले निवेश धीमे पड़ रहे थे।

#### ख. 2016-17 की राजकोषीय नीति

13. 2016-17 की राजकोषीय नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में विकास के पुनरुद्धार में सहायता देने की रफ्तार को जारी रखना और सहकारी संघवाद के राजकोषीय संबंधों को संस्थागत रूप देने का रहा। इसके साथ ही राजकोषीय समेकन के मार्ग पर भी बढ़ना जारी रखा गया। बजट 2016-17 में इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नाजुक संतुलन कायम करने का प्रयास किया गया है।

14. सरकार की राजकोषीय नीति अधिक विकास के लिए अधिक निवेशों की बड़ी बृहत आर्थिक जरूरतों से निर्देशित होना जरूरी है। निवेश का केंद्र मुख्यतः कृषि और ग्रामीण क्षेत्र हैं जिनमें अधिक विकास के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। संरचनागत निवेशों का उच्चतर स्तर विशेषकर ग्रामीण सड़कों सहित सड़क क्षेत्र में, रेलवे, जलमार्ग, विद्युत आदि में निवेश ऐसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो विकास की रफ्तार बनाए रखने के लक्ष्य की पूर्ति में सहायक होंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए और इन क्षेत्रों में अधिक बजटीय प्रावधान से और अधिक लाभ उठाने के लिए सरकार ने बांडों के जरिए 31,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट बाह्य संसाधन जुटाने की अनुमति दी है। ये निधियां सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और नाबार्ड तथा एनएचएआई जैसी अन्य सरकारी संस्थाओं के जरिए जुटाए जाएंगे। एनएचएआई के मामले को छोड़कर सरकार अदायगी/ ब्याज शोधन देनदारियों को वहन करेगी। इन उपायों से 2016-17

में विकास की रफ्तार बढ़ने की संभावना है और पुनरुद्धार के आरंभिक संकेत चालू वर्ष के दौरान अभी दिखाई दे रहे हैं।

15. घाटों के मोर्चे पर, 2016-17 में सरकार की राजकोषीय नीति क्रमिक समायोजनाओं के सिद्धांतों से निर्देशित होती रहेगी ताकि एपक्राएम् अधिनियम और नियमावली में निर्धारित राजकोषीय समेकन के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। 2016-17 में राजकोषीय घाटे पर स.घ.उ. के 0.4 प्रतिशत का लक्षित समायोजन, चालू वर्ष के दौरान हासिल 0.2 प्रतिशत के सुधार की अपेक्षा कहीं अधिक है। यह देखा जा सकता है कि राजकोषीय घाटा चालू वर्ष में अनुमानित 3.9 प्रतिशत की तुलना में, 2016-17 में स.घ.उ. के 3.5 प्रतिशत पर अनुमानित है। राजकोषीय घाटे के संबंध में त्वरित समायोजन से सरकार को ऋण और स.घ.उ. अनुपात में तेजी से कमी लाने में मदद मिलेगी। इससे आगे चलकर, विकास कार्यक्रमों के लिए सरकारी राजस्व से अधिक संसाधन मुक्त करने में मदद मिलेगी और केंद्र को प्राप्त निवल राजस्व अनुपात के रूप में ब्याज अदायगी का मौजूदा स्तर कम किया जा सकेगा।

16. निर्धारित राजकोषीय समेकन हासिल करने के लिए और राजस्व-व्यय के असंतुलन को ठीक करने के लिए, 2016-17 में सरकार का बल राजस्व संबंधी सुधार पर है। तथापि, सरकार अधिक गुंजाइश वाले क्षेत्रों में यौक्तिकीकरण की प्रक्रिया को जारी रखेगी। सब्सिडी सहित डीबीटी पर अधिक महत्व दिए जाने से सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं और इनका कार्यक्षेत्र और बढ़ाया जाएगा। व्यय प्रबंधन आयोग ने भी संभावित बचत के अनेक क्षेत्रों की पहचान की है। इनकी जांच की जा रही है और यथासमय अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी। तथापि, अधिक प्रतिबद्ध घटकों और पिछले कुछ वर्षों में लगातार जारी रखी गई व्यय को युक्तिसंगत बनाने की कवायद को देखते हुए व्यय का और अधिक यौक्तिकीकरण करने की गुंजाइश सीमित ही है। व्यय नीति का ब्यौरा एक अलग भाग में आगे चलकर दिया गया है।

17. राजकोषीय असंतुलन का संरचनागत स्वरूप राजस्व पक्ष के सुधार पर महत्व दिया जाना जरूरी बना देता है। प्रत्यक्ष कर से संबंधित सरकारी नीति साधारण कर दरों की व्यवस्था को बनाए रखते हुए, कर-आधार को विस्तृत करके प्रत्यक्ष करों में वृद्धि करने पर केंद्रित रही है। तथापि, कारपोरेट पक्ष चुनौतियों का सामना कर रहा है जिससे प्रत्यक्ष कर संग्रहणों पर असर पड़ रहा है। अप्रत्यक्ष करों के मोर्चे पर, उत्पाद शुल्क संग्रहणों का आधार पहले ही अधिक है जबकि सीमाशुल्क संग्रहणों पर अनिश्चित वैश्विक स्थितियों का असर पड़ रहा है। इसलिए, 2016-17 में अप्रत्यक्ष करों पर अधिक वृद्धि के लिए निर्भरता मुख्यतः सेवा कर पर रहेगी। लेकिन दीर्घावधि संदर्भ में, सम्पोषणीयता के प्रयोजन के लिए सकल कर और स.घ.उ. अनुपात में वृद्धि करने का प्रयास किया जाएगा। निकट भविष्य में वस्तु एवं सेवा कर के संभावित कार्यान्वयन से भी अप्रत्यक्ष कर संग्रहणों में वृद्धि होगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सकल कर और स.घ.उ. का अनुपात 2016-17 में स.घ.उ.

का 10.8 प्रतिशत होने का अनुमान है जोकि सं.अ. 2015-16 के स्तर के समान ही है। सकल कर राजस्व में वृद्धि भी 2016-17 में कम होकर 11.7 प्रतिशत होने का अनुमान है जबकि पिछले वर्ष की तुलना में सं.अ. 2015-16 में यह वृद्धि 17.2 प्रतिशत अनुमानित थी।

18. कर पक्ष पर अधिक वृद्धि से संबंधित सीमाओं को देखते हुए, 2016-17 में और मध्यावधिक संदर्भ में राजस्व पक्ष पर निर्भरता मुख्यतः कर-भिन्न राजस्व और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों, जो प्रमुखतः विनिवेश प्राप्ति हैं, पर टिकी है। ब्यौरा इस विवरण के भाग-ग में दिया गया है।

### (1) कर-नीति

19. राजकोषीय समेकन की कार्यनीति कर- स.घ.उ. अनुपात में क्रमिक वृद्धि करने और विकास भिन्न व्यय में कटौती करके स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में व्यय को युक्तिसंगत बनाने के दो महत्वपूर्ण स्तंभों पर टिकी है। इसलिए सरकार की कर-नीति मध्यावधिक संदर्भ में राजकोषीय समेकन के अनुमानित लक्ष्यों को हासिल करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

20. राजकोषीय समेकन की अवधि के आरंभिक चरण में, कर-स.घ.उ. अनुपात में वर्ष 2003-04 के 9.2 प्रतिशत के स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ और यह बढ़कर 2007-08 में 11.9 प्रतिशत हो गया। लेकिन ये लाभ वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान मुख्यतः कर पक्ष पर दिए गए प्रतिचक्रिय प्रोत्साहन के कारण बहुत हद तक गंवा दिए गए। तब से कर और स.घ.उ. अनुपात 10 प्रतिशत की रेंज में गतिहीन रहा है। सं.अ. 2015-16 में इस अनुपात के काफी बेहतर होकर स.घ.उ. का 10.8 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। तथापि, विशेषकर उत्पाद शुल्क पर उच्चतर आधार को देखते हुए, 2016-17 के लिए कर-राजस्व में साधारण वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। कर और स.घ.उ. अनुपात 10.8 प्रतिशत के उसी स्तर पर अनुमानित है। 2016-17 की कर-नीति निम्नलिखित पैराग्राफों में वर्णित है।

### अप्रत्यक्ष कर

21. चालू वित्त वर्ष में अप्रत्यक्ष कर संग्रहणों में भारी सुधार हुआ है और इसमें 2015-16 के बजट अनुमानों की तुलना में भारी मार्जिन से वृद्धि होने की संभावना है। वित्त वर्ष 2015-16 में अप्रैल से जनवरी तक की अवधि में अप्रत्यक्ष कर संग्रहणों में पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि की तुलना में लगभग 34 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, जो अंशतः 2014-15 के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उपायों के कारण और समग्र अर्थव्यवस्था में हुए बुनियादी विकास के बल पर संभव हुई।

22. अप्रत्यक्ष कर संग्रहणों के चलते, 2015-16 में अप्रत्यक्ष कर और स.घ.उ. अनुपात 2014-15 के लगभग 4.4 प्रतिशत की तुलना में लगभग 5.2 प्रतिशत रहेगा। यह मुख्यतः सभी सेवाओं (नकारात्मक सूची अथवा अन्यथा छूट प्राप्त को छोड़कर) के

व्यापक कराधान के जरिए कर आधार को व्यापक बनाने, पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने तथा सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद और सेवा कर में दी गई छूटों में कमी करके संभव हुआ। उपर्युक्त के अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग, लेखापरीक्षा, अधिनिर्णयन में तेजी, बकाया राशि का परिसमापन, जब्त वस्तुओं के शीघ्र निपटान आदि ने भी अप्रत्यक्ष कर राजस्व संग्रहण में हुई वृद्धि में योगदान दिया है।

### 23. सेवा कर

23.1 केंद्रीय बजट 2015-16 में नकारात्मक सूची की कांटछांट करके और सेवा कर के संबंध में कतिपय छूटें वापस लेकर अप्रत्यक्ष कर द्र.स.घ.उ. अनुपात में बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव किए गए हैं।

23.2 सेवा कर दर को 12 प्रतिशत 3 घन शिक्षा उपकर को बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया था। 'शिक्षा कर' और 'माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा कर' को सेवा कर की संशोधित दर में मिला दिया गया था। इस प्रकार, सेवा कर दर में प्रभावी बढ़ोतरी 12.36 प्रतिशत (उपकरों सहित) से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दी गई थी। नई सेवा कर दर 1 जून, 2015 से प्रभावी हुई थी।

23.3 स्वच्छ भारत पहलों के वित्तपोषण और बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऐसी कर-योग्य सेवाओं के मूल्य के 2 प्रतिशत की दर पर सभी या किसी कर-योग्य सेवा पर स्वच्छ भारत कर लगाने की केंद्रीय सरकार को शक्ति प्रदान करने के लिए एक समर्थनकारी प्रावधान किया गया था। यह उपकर ऐसी सभी कर-योग्य सेवाओं के कर-योग्य मूल्य पर 0.5 प्रतिशत की दर पर 15 नवम्बर, 2015 से लगाया गया था जिन्हें नकारात्मक सूची में शामिल नहीं किया गया था अथवा जिन्हें अन्यथा छूट प्रदान नहीं की गई थी।

23.4 झूलों, खेलकूद संबंधी उपकरणों अथवा मनोरंजन पार्कों में बॉलिंग एलिच, मनोरंजन संबंधी झूलों, वॉटर पार्कों, थीम पार्कों या ऐसे अन्य स्थानों के साधनों द्वारा मौजमस्ती या मनोरंजन प्रदान करके मनोरंजन सुविधा तक पहुंच के जरिए सेवाओं पर सेवा कर लगाया गया था।

23.5 समारोहों, गैर-मान्यताप्राप्त खेलकूद कार्यक्रमों (वाणिज्य खेलकूद कार्यक्रम), शोभा यात्राओं, संगीत समारोहों, पुरस्कार समारोहों के मनोरंजन कार्यक्रमों में प्रवेश द्वारा सेवा पर सेवा कर लगाया गया था, यदि वसूली गई धनराशि ऐसे किसी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए अधिकार हेतु 500 रुपए से अधिक हो।

23.6 वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन से संबंधित किसी भी प्रक्रिया द्वारा कवर की जाने वाली सेवा की नकारात्मक सूची में प्रविष्टि के लिए, मानवीय उपभोग के लिए नशीली शराब के उत्पाद या विनिर्माण से संबंधित किन्हीं प्रक्रियाओं को करने जैसी किसी सेवा को छोड़कर, काटछांट की गई। परिणामतः, बोटल बंद शराब के उत्पादन के लिए संविदा विनिर्माण/नौकरीकारी पर विचार करते हुए 1 जून, 2015 से सेवा कर लगाया गया था।

23.7 फिलहाल, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाएं, कतिपय विनिर्दिष्ट सेवाओं के सिवाय, नकारात्मक सूची में हैं। सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यवसाय कंपनी को प्रदान की गई 'सहायता सेवा' पर सेवा कर लागू किया गया था। सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यवसाय कंपनी को प्रदान की गई सभी सेवाओं को नकारात्मक सूची से बाहर करने के लिए, वित्त अधिनियम, 2015 में एक समर्थकारी प्रावधान किया गया था। ये संशोधन अधिसूचित कर दिए गए हैं और 01.04.2016 से प्रभावी हो जाएंगे। इस प्रकार, सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यवसाय कंपनी को प्रदान की गई सभी सेवाएं, ऐसी सेवाओं जो विशेष रूप से छूट प्राप्त हैं या नकारात्मक सूची में किसी अन्य प्रविष्टि के अंतर शामिल हैं, के सिवाय, सेवा कर के लिए उत्तरदायी होंगे।

23.8 किसी विमानपत्तन या पत्तन से संबंधित मूलकार्यों के निर्माण, एरेंक्शन उन्हें शुरू करने या संस्थापन से छूट वापस ले ली गई है। अधिसूचना संख्या 25/12-एसटी की क्रम संख्या 14 के अंतर्गत शामिल की गई अन्य छूटें अपरिवर्तित रहेंगी।

23.9 निम्नलिखित सेवाओं पर छूटें वापस ले ली गई हैं :

- (क) किसी म्यूचुअल फंड एजेंट द्वारा किसी म्यूचुअल फंड या आस्ति प्रबंधन कंपनी को प्रदान की गई सेवाएं,
- (ख) म्यूचुअल फंड या एएमसी के वितरक,
- (ग) किसी वितरक को लॉटरी टिकट की बिक्री या विपणन एजेंट।

इन सेवाओं पर रिवर्स प्रभार आधार पर सेवा कर लगाया गया है।

23.10 बजट 2016-17 में, सेवा कर की ओर से संसाधन जुटाने के लिए किए गए कुछ उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं, -

- (क) कृषि में सुधार लाने के लिए पहलों के वित्तपोषण और प्रोत्साहन के लिए सभी कर-योग्य सेवाओं पर उपकर लगाए जाने के लिए वित्त विधेयक, 2016 एक समर्थकारी प्रावधान किया गया है। यह उपकरण वित्त विधेयक, 2016 के अधिनियमन के पश्चात 1 जून, 2016 को प्रवर्तन में आ जाएगा।

(ख) निम्न द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर छूट,-

- (i) विधिक सेवा प्रदान करने वाला कोई वरिष्ठ अधिवक्ता या किसी अधिवक्ता के लिए अधिवक्ताओं की साझेदारी फर्म या अधिवक्ताओं की साझेदारी वाली फर्म; और
- (ii) किसी विवाचक अधिकरण पर किसी विवाचक अधिकरण के लिए प्रतिनिधित्व वाला कोई व्यक्ति, वापस ली जा रही है; और फार्वर्ड प्रभार के अधीन सेवा कर लगाया जा रहा है।

- (ग) मोनोरेल या मेट्रो से संबंधित मूल कार्य के निर्माण, इरेक्शन, कार्य शुरू करने या संस्थपना पर, 1 मार्च, 2016 के पश्चात हुई संविदाओं के संबंध में छूट वापस ली जा रही है।
- (घ) रोपवे, केबल कार या हवाई ट्राम्पे द्वारा यात्रियों को लाने-ले जाने, सामान सहित या बिना सामान के, संबंधी सेवाओं से छूट वापस ली जा रही है।
- (ङ.) नकारात्मक सूची प्रविष्टि जिसमें 'किसी स्टेज कैरिज द्वारा, सामान सहित या बिना सामान के यात्रियों के परिवहन संबंधी सेवा' शामिल है, वातानुकूलित स्टेज कैरिज द्वारा यात्रियों के परिवहन द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर सेवा कर लगाए जाने का लोप किया जा रहा है, उनपर छूट का वही स्तर लागू होगा जो संविदा कैरिज द्वारा यात्रियों के परिवहन पर लागू होता है अर्थात् निविष्टि के क्रेडिट, विनिष्ट सेवाओं और पूंजी संबंधी वस्तुओं के बिना 60 प्रतिशत।

23.11 निर्माण क्षेत्र को गति प्रदान करने, सस्ते आवास निर्माण को बढ़ावा देने, सामाजिक सुरक्षा के संवर्धन तथा पेंशन वाले समाज की ओर अग्रसर होने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। मुकदमेबाजी कम करने और कराधान में निश्चितता का प्रावधान करने, कारोबार को आसान बनाने, कौशल विकास तथा 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। अनेक यौक्तिकीकृत उपाय भी किए गए हैं।

#### 24. सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क

24.1 राजकोषीय समेकन प्राप्त करने के उद्देश्य से, बजट 2016-17 में निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव है :

- कोयले लिग्नाइट और पीट पर लगाए गए स्वच्छ ऊर्जा उपकर (स्वच्छ पर्यावरण उपकर के रूप में पुनर्नामित) को 200 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 400 रुपए प्रति टन किया जा रहा है।
- कतिपय विनिर्दिष्ट मोटर वाहनों पर 4 प्रतिशत की दर से अवसंरचना उपकर लगाया जा रहा है।
- बोतल बंद पानी, लैमनेड तथा अन्य प्रकार के पानी, चीनीयुक्त या अन्य मीठे पदार्थ या सुगंधयुक्त, पर उत्पाद शुल्क 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 21 प्रतिशत किया जा रहा है। बिना फिल्टर वाली तथा फिल्टर वाली विभिन्न लंबाई वाली सिगरेटों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाया जा रहा है ताकि ऐसी सिगरेटों पर कुल उत्पाद शुल्क बढ़ाकर लगभग 10 प्रतिशत किया जा सके।
- गुटखा, खानी तम्बाकू (फिल्टरयुक्त खैनी सहित) तथा जर्दा सुगंधित तम्बाकू पर उत्पाद शुल्क 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 81 प्रतिशत किया जा रहा है,

अविनिर्मित तम्बाकू पर उत्पाद शुल्क 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 64 प्रतिशत किया जा रहा है तथा पान मसाला पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 19 प्रतिशत किया जा रहा है। तदनुसार, समकक्ष उत्पादन और इन तम्बाकू उत्पादों में से प्रत्येक के लिए प्रति मशीन देय प्रतिमाह शुल्क अधिसूचित किया जा रहा है।

- विमानन टरबाईन ईंधन (एटीएफ) पर उत्पाद शुल्क, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम के तहत वायुयान को आपूर्त किए जाने के अलावा, 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जा रहा है।
- ब्रांड वाले सिले-सिलाए वस्त्रों तथा 1000 रुपए या इससे अधिक मूल्य की खुदरा बिक्री वाले वस्त्रों पर 2 प्रतिशत (सेलवेट क्रेडिट के बिना) तथा 12.5 प्रतिशत (सेनवेट क्रेडिट सहित) उत्पाद शुल्क लगाया जा रहा है। प्रशुल्क मूल्य को खुदरा बिक्री मूल्य के 30 प्रतिशत से बढ़ाकर खुदरा बिक्री मूल्य का 60 प्रतिशत किया जा रहा है।
- आभूषणों (चांदी निर्मित आभूषणों को छोड़कर, हीराजड़ित आभूषणों/ अन्य मूल्यवान रत्नों के अलावा) पर एक प्रतिशत (सेनवेट क्रेडिट के बिना) और 12.5 प्रतिशत (सेनवेट क्रेडिट सहित) का उत्पाद शुल्क लगाया जा रहा है।
- बिना छिले काजूओं पर बुनियादी सीमा शुल्क शून्य से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया जा रहा है।

#### प्रत्यक्ष कर

25. सरकार की प्रत्यक्ष करों संबंधी नीति संयत कर दरों की प्रणाली को बनाए रखते समय कर आधार का दायरा बढ़ाकर प्रत्यक्ष करों में वृद्धि प्राप्त करने की रही है। कर संग्रहण दो कारकों द्वारा कर दरों और कराधार का उत्पाद है। वित्त वर्ष 2016 में अर्जित आय के संबंध में विदेशी कंपनियों के लिए व्यक्तिगत आयकर और कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तथापि, यह प्रस्ताव है कि वित्त वर्ष 2014-15 में 5 करोड़ रुपए से कम कुल कारोबार या सकल प्राप्तियों वाली घरेलू कंपनियों के मामले में आयकर 29 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 1 मार्च, 2016 को या इसके बाद निगमित तथा वस्तुओं और चीजों के विनिर्माण और उत्पादन मात्र में लगी घरेलू कंपनियां, अपने विकल्प पर, 25 प्रतिशत की दर से कर अदा कर सकेंगी यदि वे किसी त्वरित अवमूल्यन, निवेश भत्ते, लाभ से जुड़ी कटौतियों और निवेश से जुड़ी कटौतियों का दावा न करें। अन्य सभी घरेलू कंपनियां वित्त वर्ष 2016-17, निर्धारण वर्ष 2017-18 में निर्धारण योग्य अर्जित आय के संबंध में 30 प्रतिशत की दर से कर के लिए उत्तरदायी होंगी।

26. यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि व्यष्टियों, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), व्यष्टियों के एसोसिएशनों, व्यष्टियों और व्यष्टियों के निकायों के मामले में अधिभार 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाएगा यदि उनकी कुल आय 1 करोड़ रुपए से अधिक हो। अन्य सभी मामलों में अधिभार की दर वित्त वर्ष 2015-16 के समान बनी रहेगी।

27. कर संग्रह में वृद्धि करने के लिए कर आधार को विस्तृत बनाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें विधायी और साथ ही प्रशासनिक उपाय भी शामिल हैं। कर आधार को व्यापक बनाने तथा राजस्व में वृद्धि करने के लिए 2016-17 के केंद्रीय बजट में किए गए प्रमुख नीतिगत प्रस्ताव निम्नवत हैं :-

- प्रस्ताव है कि व्यष्टि/हिंदू अविभाजित परिवार/फर्म को शेयर धारिता के कारण लाभांश के रूप में दस लाख से अधिक की आय पर 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त आयकर लगाया जाएगा।
- अधिक मूल्य के सौदों को कराधान के अंतर्गत लाने तथा नकदी की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रस्ताव है कि 10 लाख रुपए से अधिक मूल्य के मोटर वाहनों की खरीद तथा दो लाख रुपए से अधिक मूल्य की किसी वस्तु या सेवाओं की नकदी खरीद पर स्रोत पर कर उगाही की जाए।
- प्रस्ताव है कि किसी ऐसे अनिवासी व्यक्ति जिसका भारत में कोई स्थायी आवास न हो, भारत में व्यवसाय और वृत्तिक कार्य करने वाले निवासी व्यक्ति से या भारत में स्थायी आवास रखने वाले अनिवासी व्यक्ति से प्राप्त या प्राप्य विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रतिलाभ की राशि के 6 प्रतिशत की दर से समानीकरण लेवी लगाया जाए।
- किसी न्यास या संस्था के धर्मार्थ संगठन से गैर-धर्मार्थ संगठन के रूप में परिवर्तित होने की तारीख को निवल आस्तियों से निरूपति प्रोद्भूत आय पर अधिकतम सीमांत दर पर अतिरिक्त कर वसूला जाए।

28. राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रस्तावित प्रशासनिक और प्रौद्योगिकी पहलें निम्नलिखित हैं :

- कर प्रशासन की व्यावसायिक प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण द्वारा देश में व्यवसाय करना अधिक आसान बनाने के लिए एक अविरोधी और अहस्तक्षेपी कर व्यवस्था शुरू की जाए। करदाताओं की सेवाओं को ई-सक्षम बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। आयकर रिटर्न, विभिन्न प्रपत्रों, लेखापरीक्षा रिपोर्टों, स्रोत पर कर कटौती विवरणों को जमा कराने की प्रक्रिया को

इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग तथा कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया द्वारा अनुरूपता प्रदान की गई है। कागज रहित (पेपर लेस) कर-निर्धारण की संकल्पना प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई है ताकि चुनिंदा मेट्रो शहरों में करदाताओं के साथ आयकर विभाग द्वारा मानव संपर्क न्यूनतम हो। इसके अतिरिक्त, करदाताओं को आयकर कार्यालय में बुलाए बिना किसी बेमेल विवरण का समाधान करने के लिए एक ऑनलाइन तंत्र उपलब्ध कराने की दृष्टि से ई-सहयोग नामक पहल शुरू की गई है।

- विभाग का ई-फाइलिंग पोर्टल काफी सफल सिद्ध हुआ है तथा पोर्टल पर पंजीकृत प्रयोक्ताओं की संख्या 31 दिसम्बर, 2015 को 4.95 करोड़ रुपए हो गई है। करदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित आईटीआर-ज को भौतिक रूप में प्रस्तुत करके सत्यापन कराने के एक विकल्प के रूप में विवरणियों के इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन का प्रावधान किया गया है जिसमें करदाता इंटरनेट बैंकिंग या आधार आधारित प्रमाणन प्रक्रिया के जरिए अपनी विवरणियों का सत्यापन कर सकता है।
- आय विवरणी नहीं करने वालों के लिए आयकर विभाग द्वारा नॉन-फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएमएस) नामक एक परियोजना शुरू की गई है ताकि संभावित करदेयताओं वाले व्यक्तियों पर विवरणी नहीं भरने पर प्राथमिकता से कार्रवाई की जा सके। एआईआर, सीआईबी डेटा और टीडीएस/टीसीएस विवरणियों में उपलब्ध विशिष्ट सूचनाओं के आधार पर एनएमएस चक्र 1 (2013), चक्र 2 (2014) और चक्र 3(2015) में ऐसे संभावित कर देयताओं वाले क्रमशः 12.19 लाख, 22.09 लाख और 44.07 लाख व्यक्तियों की पहचान की गई। इस परियोजना से अब तक 10439.11 करोड़ रुपए की कर वसूली हुई है।

29. वर्ष 2013-14 की तुलना में कम दर के बावजूद 2014-15 के दौरान प्रत्यक्ष दर संग्रहण में वृद्धि हुई है। कारपोरेट आयकर की तुलना में वैयक्तिक आयकर में अधिक वृद्धि दर्ज हुई है। वैयक्तिक आयकर में 9.16 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि कारपोरेट आयकर में 8.67 प्रतिशत वृद्धि प्रदर्शित हुई है।

## 2. व्यय नीति

30. सरकार के भीतर बाहर इस बात पर व्यापक चर्चा हुई है कि सरकार को राजकोषीय सुदृढीकरण की कार्य योजना पर चलना चाहिए या सार्वजनिक व्यय की अधिकता को देखते हुए इसमें छूट दी जाए। तथापि, राजकोषीय घाटा बढ़ाने के किसी प्रयास को नीति दरों पर प्रभाव के वृहतर मौद्रिक नीति के परिप्रेक्ष्य में देखा

जाना है। निजी निवेश और विकास पर सरकारी उधारों के अधिक नकारात्मक नतीजे को देखते हुए सरकार ने मौजूदा राजकोषीय सुदृढीकरण के रोडमैप को ही अपनाने का निर्णय लिया है।

31. राजकोषीय सुदृढीकरण के मार्ग पर चलना जारी रखते हुए 2016-17 में सरकार की व्यय नीति व्यय यौक्तिकीकरण की नीति का जारी रहना दर्शाती है। सरकार ने राजस्व और पूंजी तथा विकासात्मक आयोजना एवं आयोजना-भिन्न व्यय घटकों के बीच ईष्टतम संतुलन बनाए रखने के प्रयास किए हैं। बजट अनुमान 2016-17 में कुल व्यय के संशोधित अनुमान 2015-16 की तुलना में 10.8 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। इसके भीतर आयोजना व्यय को 15.3 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दी गई है। राजस्व पूंजी सुधार संबंधी ब्यौरा पर मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण में पहले ही चर्चा की जा चुकी है। आयोजना-भिन्न राजस्व घटक में वृद्धि को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और रक्षा सेवाओं में 'एक रैंक एक पेंशन' के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए जाने के बावजूद नियंत्रित किया गया है।

32. आयोजना-भिन्न पक्ष में प्रमुख सब्सिडियों पर व्यय का यौक्तिकीकरण राजकोषीय सुदृढीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। भविष्य में किए जाने वाले विभिन्न प्रयासों के साथ प्रमुख सब्सिडियों पर व्यय 2016-17 में घटकर सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1.5 प्रतिशत कम होने का अनुमान है जबकि संशोधित अनुमान 2015-16 में यह सकल घरेलू उत्पाद का 1.7 प्रतिशत था। मुख्य सब्सिडियों पर व्यय को यौक्तिक बनाने के सरकार के विभिन्न प्रयासों जैसेकि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, एलपीजी तथा उर्वरक क्षेत्र में सब्सिडियों में सुधार भी किया जा रहा है। यह आशा की जाती है कि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में मुख्य सब्सिडियों पर व्यय भविष्य में और कम होगा।

33. आयोजना स्कीमों को यौक्तिक बनाने की कवायद अनेक स्कीमों को घटाकर कम करने और परिणाम आधारित स्कीमों में बदलने के लिए मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके वर्ष के दौरान की गई थी। इसके अतिरिक्त 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की पृष्ठभूमि में नीति आयोग द्वारा केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के यौक्तिकीकरण संबंधी मुख्य मंत्रियों का एक उप-समूह गठित किया गया था। उनकी सिफारिशों के आधार पर सरकार ने निर्णय लिया है कि मुख्य में प्रमुख स्कीमों का निधियन पैटर्न मौजूदा हिस्सेदारी पैटर्न पर जारी रखा जाएगा। प्रमुख स्कीमों का हिस्सेदारी पैटर्न राष्ट्रीय विकास एजेंडा का भाग है, जो 8 उत्तरपूर्वी और 3 हिमालयी राज्यों, जिनके लिए इसे 90:10 रखा गया है, को छोड़कर 60:40 होगा। अन्य सभी स्कीमों को 50:50 के हिस्सेदारी पैटर्न के साथ वैकल्पिक श्रेणी में रखा गया है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों का निधियन केंद्रीय सरकार द्वारा शत-प्रतिशत होगा। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि 2016-17 के बाद से राष्ट्रीय एड्स और यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी राष्ट्रीय महत्व

की स्कीमों/परियोजनाओं, अपराध और अपराधी नियंत्रण नेटवर्क जैसे नेटवर्क बहिर्मुखता वाले कार्यक्रम केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम की तरह चलाए जाएंगे।

### 3. सरकारी उधार, ऋण देना और निवेश

34. वर्ष 2015-16 में, दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए 4,56,405 करोड़ रुपए के निवल बाजार उधार की बजट व्यवस्था सकल राजकोषीय घाटे के 82.1 प्रतिशत का वित्तपोषण करने के लिए की गई थी। वित्तपोषण के अन्य स्रोत थे राजकोषीय हुंडियां, विदेशी सहायता, राज्य भविष्य निधियां, राष्ट्रीय लघु बचत निधि आदि। 2016-17 के लिए कुल उधार की आवश्यकता की बजट व्यवस्था 6,00,000 करोड़ रुपए या 4,26,670 करोड़ रुपए का निवल बाजार उधार दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 80 प्रतिशत का वित्तपोषण करने के लिए बजट व्यवस्था की गई है। राजकोषीय हुंडियों के जरिए जुटाने के लिए 16,649 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। अतः अल्पावधिक और मध्यावधिक ऋण दोनों के वित्तपोषण के संदर्भ में 2016-17 के दौरान उधार की कार्यनीति की निर्भरता बाजारोन्मुख घरेलू स्रोतों पर जारी रहेगी, बाह्य स्रोतों से केवल 3.6 प्रतिशत राजकोषीय घाटा का वित्तपोषण किया जाएगा।

35. विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन अच्छी आर्थिक नीति की आधारशिला है। विश्व के दूसरे भाग में अनुभव दर्शाया है कि अंतर्राष्ट्रीय आघात के प्रति ऋण प्रोफाइल की संवेदनशीलता पर उभरती वैश्विक आर्थिक व्यवस्था पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है। भारत में, ऋण नीति सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में सरकारी ऋण को धीरे-धीरे कम करने के सिद्धांत द्वारा अभिप्रेरित है ताकि ऋण शोधन का जोखिम आगे और कम किया जा सके और अन्य विकासात्मक व्यय के लिए राजकोषीय संभावना बनाई जा सके। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके मोचन का दबाव सहज करने, आवर्ती जोखिम कम करने तथा नकदी अधिशेष का उपयोग करने के उद्देश्य से वापसी खरीद और अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों को दीर्घकालिक सरकारी प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने के रूप में 2013-14 से बाजारोन्मुख सक्रिय ऋण प्रबंधन का उपयोग किया है।

36. देश के ऋण प्रोफाइल की एक मुख्य विशेषता विदेशी ऋण का केंद्रीय सरकार की कुल देनदारियों के प्रतिशत के रूप में घटता अनुपात है, जो 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार 6.2 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, विदेशी उधार चुनिंदा विकास भागीदारों से बहुपक्षीय/द्विपक्षीय ऋणों तक सीमित हैं, और इसलिए पूंजी प्रवाह के उलटाव की संभावना नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में अस्थिरता से सरकार के ऋण पोर्टफोलियो को अलग करता है। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में कम ब्याज दरों ने सरकार को विदेशी ऋण के अन्य स्रोतों का पता लगाने का विकल्प प्रदान किया है। विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गित बांड जारी करने का निर्णय केवल लागत प्रतिफल पर आधारित नहीं रह सकता और इसका आकलन

समग्र बचतों एवं अर्थव्यवस्था की निवेश की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में करने की जरूरत होगी।

37. सरकारी ऋण पोर्टफोलियो में आवर्ती जोखिम 29 फरवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार 10.38 वर्ष के आस-पास बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों की भारित औसत परिपक्वता के साथ निम्न स्तर पर बना रहा। अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में यह अधिक है। वर्ष 2015-16 में जारी की गई दिनांकित प्रतिभूतियों का भारित औसत प्रतिलाभ 2014-15 के दौरान 8.51 प्रतिशत की तुलना में 7.89 प्रतिशत था, जो गिरती मुद्रास्फूर्ति दर के साथ कम प्रतिलाभ का माहौल दर्शाता है। काफी मात्रा में उधार लागत में बढ़ोतरी के बिना प्रारंभिक निर्गमों की वर्धित परिपक्वता भी अपेक्षाकृत दीर्घकालिक प्रतिभूतियों की अधिकाधिक मांग दर्शाती है (बीमा कंपनियों और भविष्य निधियों द्वारा), जो मध्यम अवधि में इसकी परिपक्वता प्रोफाइल बढ़ाने के सरकार के प्रयासों को सहायता देना जारी रखेगा।

38. सरकारी प्रतिभूतियों के लिए चल और तगड़ा द्वितीयक बाजार विकसित करना और निवेशक आधार का विस्तार करना, किफायती तरीके से ऋण जुटाना सुनिश्चित करने के लिए मुख्य कारक हैं। सरकार की प्रारंभिक निर्गम की कार्यनीति बेंचमार्क परिपक्वता के तहत नई प्रतिभूतियां जारी करने और द्वितीयक बाजार में नकदी की स्थिति सुधारने के लिए विद्यमान प्रतिभूतियों के तहत मात्रा बढ़ाने पर सरकार ध्यान दे रही है। सरकारी प्रतिभूतियों के लिए मांग की स्थिरता में निवेशक आधार पर विस्तार करना एक दूसरा प्रमुख कारक है। विदेश पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा अधिकाधिक पूर्वानुमान योग्य दायरा बनाने के उद्देश्य से, सरकार के साथ परामर्श करके भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमाओं के लिए मध्यावधिक ढांचा तैयार किया है। तदनुसार, मार्च 2018 तक एफपीआई निवेश के सरकारी प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक के 5 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है। भारत सरकार द्वारा नवम्बर, 2015 में शुरू की गई स्वर्ण स्कीम ने निवेश विकल्प को और व्यापक बनाया है और खुदरा निवेशकों की वर्धित भागीदारी के जरिए विविधतापूर्ण निवेशक आधार बनाया है।

39. सरकार बाजार दरों के अनुरूप प्रशासित ब्याज दंडों के साथ समानता की ओर भी जा रही है। लघु बचतों पर ब्याज दरें अब दिनांकित प्रतिभूतियों हेतु द्वितीयक बाजार में प्रतिफलों से जोड़ी गई हैं।

#### 4. आकस्मिक देनदारियां

40. संविधान के अनुच्छेद 292 के अनुसार केंद्र सरकार भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर उधारों की अदायगी हेतु गारंटी देती है। एपकारबीएम नियम वृद्धिकारी गारंटियों, जो सरकार एक वित्त वर्ष में मान सकती है, हेतु सकल घरेलू उत्पाद की 0.5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा निर्धारित करती है। केंद्र सरकार,

महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक लाभों के साथ सरकारी कंपनियों द्वारा हाथ में ली गई परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों की व्यवहार्यता सुधारने के प्रयोजनार्थ तथा उन मामलों में अपेक्षा पूरी करने जहां सॉवरन गारंटी द्विपक्षीय/ बहुपक्षी सहायता के लिए पूर्व शर्त है, मुख्यतया गारंटियां देती है।

41. सरकार द्वारा मानी गई गारंटियों पर एपकारबीएम की उच्चतम सीमा के परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के प्रति आकस्मिक देनदारियां घटी हैं जो अनुपात 2004-05 में 3.3 प्रतिशत पर उठा हुआ था वह अब घटकर 2014-15 में 2.73 प्रतिशत रह गया है। एपकारबीएम नियमावली, 2004 में यथानिर्दिष्ट बकाया गारंटियों संबंधी प्रकटन विवरण प्राप्ति बजट के अनुबंध 5(त्त) पर संलग्न है। 2014-15 के दौरान गारंटियों के स्टॉक का निवल संग्रहण 41,456.13 करोड़ रुपए था जो सकल घरेलू उत्पाद का 0.33 प्रतिशत बैठता है और यह एपकारबीएम नियमावली के अंतर्गत निर्धारित 0.5 प्रतिशत सीमा के भीतर है।

#### ग. आगामी वर्ष हेतु महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं

42. वर्ष 2016-17 में और मध्यावधि अनुमान अवधि में प्राप्ति पक्ष संबंधी राजकोषीय नीति कार्ययोजना मुख्यतया केंद्र के कर-राजस्व और कर-भिन्न पूंजी प्राप्ति बढाने पर टिकी हुई है। कर-भिन्न राजस्व में बजट 2016-17 में संशोधित अनुमान 2015-16 की तुलना में 25 प्रतिशत की वृद्धि की व्यवस्था की गई है। इसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर-भिन्न राजस्व का हिस्सा संशोधित अनुमान 2015-16 में 1.9 प्रतिशत से बढ़ाकर बजट अनुमान 2016-17 में 2.1 प्रतिशत हो जाएगा। इस कर-भिन्न राजस्व का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार ने पहले ही कुछ उपाय शुरू कर दिए हैं और अन्य अगले वर्ष कार्यान्वित किए जाने की संभावना है।

43. लाभांशों से राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार ने सभी सरकारी उद्यमों के लिए प्रयोज्य 30 प्रतिशत की लाभांश दर बनाते हुए पहले ही कार्रवाई कर दी है। अधिकतर सरकारी क्षेत्र के उद्यम जो 20 प्रतिशत की दर पर लाभांश दे रहे थे अब 33 प्रतिशत अधिक लाभांश का भुगतान करेंगे। इसके अतिरिक्त 2016-17 में होने वाले स्पेक्ट्रम के बड़े हिस्से की नीलामी के चलते अगले वर्ष और मध्यावधि में दूरसंचार प्राप्ति से प्रचुर मात्रा में उच्च संग्रहण अनुमानित हैं। प्रयोक्ता शुल्क/प्रभार, आदि में वृद्धि के जरिए कर-भिन्न राजस्व बढ़ाने की प्रचुर संभावना है। सरकार स्वयं ओर अपनी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्पादों व सेवाओं पर इष्टतम दर पुनरीक्षण हेतु उपाय करेगी। ये दर पुनरीक्षण सरकार की सामाजिक दायित्व जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संबंधित मंत्रालयों/ विभागों के परामर्श से किए जाएंगे। इसलिए मध्यावधि में सरकार के निवल राजस्व में वृद्धि मोटे तौर पर कर-भिन्न राजस्व, खासकर, स्पेक्ट्रम नीलामियों से प्राप्ति के जरिए, बढ़ाने पर निर्भर होगी। यह सकल घरेलू उत्पाद कर अनुपात में उच्च वृद्धि प्राप्त करने के लिए गुंजाइश देगा।

44. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी पण्य की विनिवेश से प्राप्तियां बजट अनुमान 2016-17 में 56,500 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। यह संभावना है कि बाजार की दशाओं में सुधार की संभावना के चलते सरकार 2016-17 में परिसंपत्तियों के लक्षित विनिवेश/बिक्री करने में समर्थ होगी।

## (2) व्यय प्रबंध रेखांकित करने वाले व्यापक सिद्धांत

45. हालांकि, सरकार ने राजकोषीय समेकन चरण में यौक्तिकीकरण के जरिए व्यय नियंत्रित किया है, व्यय की गुणवत्ता ऐसा क्षेत्र बना हुआ है जहां समाधान की जरूरत है। चालू राजकोषीय समेकन राजकोषीय घाटा नियंत्रित रखने में सफल रहा है, फिर भी, एपकारबीएम व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा हेतु निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के दृष्टिगत राजस्व पक्ष पर सरकारी वित्त की ओर ध्यान देने की जरूरत है। इस योजना खर्च में संरचनात्मक परिवर्तन करने और संपोषणीय सीमाओं के भीतर आयोजना-भिन्न खर्च को नियंत्रित करने के निश्चित उपाय आवश्यक है।

46. सरकार ने प्रत्येक प्रस्तावित स्कीम/परियोजना में पूंजी व्यय और प्रशासनिक व्यय के दो अलग उर्ध्वाधर सृजित करते हुए परिणाम आधारित बजटीय व्यवस्था करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है ताकि ठोस परिणाम व भौतिक प्रगति मापी जा सके। जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है नीति आयोग द्वारा केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के यौक्तिकीकरण संबंधी मुख्यमंत्रियों का उप-समूह गठित किया गया था। इसकी सिफारिशों के आधार पर सरकार ने निर्णय लिया है कि महत्वपूर्ण स्कीमों, अर्थात् कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आईसीडीएस आदि जो राष्ट्रीय विकास कार्यसूची का भाग बनेंगी, उनका निधिपोषण पैटर्न 8 पूर्वोत्तर के राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों में 90:10 में और केंद्र व राज्यों के बीच 60:40 में बांटा जाएगा। सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि 2016-17 से आगे राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अपराध और अपराध नियंत्रण नेटवर्क जैसे बाह्य नेटवर्क वाली राष्ट्रीय महत्व की योजनाएं/परियोजनाएं केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में चलाई जाएंगी।

47. सरकार द्वारा व्यय प्रबंध आयोग का गठन किया गया था और इससे कहा गया था कि राजकोषीय अनुशासन की वचनबद्धता से समझौता किए बगैर विकासात्मक व्यय जरूरतें पूरी करने के लिए अपेक्षित राजकोषीय गुंजाइश सृजित करने, सरकारी व्यय की आबंटनकारी दक्षताएं बढ़ाकर, उपयोग, लक्ष्य और परिणाम पर ध्यान देते हुए व्यय की प्रचालनात्मक दक्षता सुधारने, बेहतर प्रबंधन प्रणाली के जरिए वित्तीय लागतों में कमी करके, व्यय प्रबंधन हेतु आईटी साधनों का बेहतर प्रयोग करने और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली आदि में सुधार करने जैसे मुद्दों की जांच करे। व्यय प्रबंधन आयोग ने सितम्बर, 2015 और दिसम्बर, 2015 में अपनी अंतिम रिपोर्ट का क्रमशः भाग-1 और भाग-2 प्रस्तुत कर दिया है। इस रिपोर्ट में केंद्र सरकार के व्यय प्रबंधन में सुधार हेतु अनेक सुझाव शामिल हैं।

48. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का व्यापक गहन बनाना व सुधार का दूसरा प्रमुख क्षेत्र है जहां सुपुर्दगी प्रक्रिया में अनेक स्तरों को समाप्त करते हुए नकद/लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित होते हैं। यह भारत के नागरिकों में सब्सिडी सुपुर्दगी में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। डीबीटी में लाभार्थियों का सटीक लक्षीकरण, द्विश्रवृत्ति रोकना, जालसाजी कम करना, सुपुर्दगी प्रक्रिया में दक्षता, बेहतर समावेशन सुनिश्चित करना, अपशिष्ट समाप्त करना, विसर्पण रोकना और बेहतर जवाबदेही व पारदर्शिता के चलते व्यय नियंत्रित करने की परिकल्पना की गई है। अतः इसका आशय राजकोष पर सब्सिडी भार कम करना और राजकोषीय प्रबंधन में सुधार करना है।

49. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को 27 चुनिंदा केंद्रीय क्षेत्रों (सीएस) और केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) के लिए 121 जिलों में चरणबद्ध तरीके से 1.1.2013 को प्रारंभ किया गया था। एलपीजी में डीबीटी (डीबीटीएल) को 1.6.2013 को प्रारंभ किया गया था। दिसम्बर, 2014 में देश भर में डीबीटी का विस्तार किया गया और (300 चुनिंदा जिलों के लिए) मनरेगा सहित 27 स्कीमों और 8 नई स्कीमों को डीबीटी के प्लेटफॉर्म पर लाया गया। फरवरी, 2015 में डीबीटी का सार्वभौमिकरण किया गया जिसमें मंत्रालयों/विभागों के सभी केंद्रीय क्षेत्र/केंद्र द्वारा प्रायोजित उन सभी स्कीमों को शामिल किया गया जिनमें नकद राशि व्यक्तिगत लाभार्थियों को अंतरित होती है। वित्त वर्ष 2015-16 (31.12.2015 तक) विभिन्न सरकारी स्कीमों में लगभग 29.59 करोड़ रुपए लाभार्थियों को डीबीटी प्लेटफॉर्म पर 103.43 करोड़ रुपए लेनदेनों के माध्यम से 44,035.21 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।

50. एलपीजी सब्सिडी को सीधे उपभोक्ताओं के पास अंतरित करने के लिए 'पहल' नामक स्कीम भी गैर-द्विश्रवृत्ति, सटीक लक्ष्य निर्धारण और प्रशासनिक व्यय में बचत के संदर्भ में बहुत सफल रही है। मनरेगा में स्कीम के भुगतान का लगभग 96 प्रतिशत भाग डीबीटी रीति से अंतरित होता है। खाद्य सब्सिडी का नकदी अंतरण चंडीगढ़ और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर लागू किया जा रहा है। नौ राज्य सरकारें चुनिंदा जिलों में केरोसीन में डीबीटी लागू करने के लिए आगे आई हैं। केरोसीन में डीबीटी लागू करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के विचार से यह निर्णय लिया गया है कि राज्यों को प्रथम दो वर्षों के दौरान सब्सिडी बचत का 75 प्रतिशत, तीसरे वर्ष 50 प्रतिशत और चौथे वर्ष में 25 प्रतिशत का नकद प्रोत्साहन दिया जाएगा। डीबीटी के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप प्रक्रिया के सरलीकरण, लाभों को सीधे लाभार्थियों में बैंक खातों में अंतरित करने, गैर-द्विश्रवृत्ति और नकली लाभार्थियों को बाहर करने के माध्यम से सब्सिडी व्यवस्था को सुप्रवाही बनाने में मदद मिली है। इन पहलों को 2016-17 के दौरान और आगे बढ़ाया जाएगा।

## रेल बजट

51. रेल बजट आम बचत से अलग पेश किया जाता है। तथापि, अर्जनों और व्ययों तथा सभी अन्य वित्तीय आंकड़ों को आम बजट में भी शामिल किया जाता है। रेलवे को सरकारी सहायता सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के रूप में प्रदान की जाती है जिसका लाभांश प्रत्येक वर्ष अदा किया जाता है। लाभांश की दर रेलवे अभिसमय समिति द्वारा निर्धारित की जाती है जो फिलहाल 4 प्रतिशत की दर पर है। रेलवे राजस्व प्राथमिक रूप से दो प्रमुख यातायात स्ट्रीमों यात्री किराया और माल-भाड़ा से अर्जित होते हैं। कुछ अर्जनों में सामान/पार्सल, भूमि का वाणिज्यिक उपभोग, साइडिंग प्रभार, विज्ञान और रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 'अन्य कोचिंग और सनड्राइज' नामक दो श्रेणियों के अंतर्गत प्रदत्त लाभांश की भी भागीदारी होती है। इस आय का उपभोग 'साधारण कार्यचलन खर्चों' (ओडब्ल्यूई) नामक प्रचालन खर्चों, मूल्यहास और पेंशन संबंधी प्रभारों को पूरा करने के लिए किया जाता है। शेष अधिशेष राशि को लाभांश देने में प्रयोग किया जाता है और शेष राशि को प्रणाली की सुरक्षा और विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए योजना निवेश के रूप में वापस लगा दिया जाता है।

52. रेलवे में आयोजना निवेश जीबीएस, आंतरिक संसाधनों और बजतेतर संसाधनों द्वारा वित्तपोषित होता है। संशोधित अनुमान 2015-16 में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश और वास्तविक 2014-15 में 58,008 करोड़ रुपए की तुलना में बजट अनुमान 2016-17 में 1.21 लाख करोड़ रुपए के योजना परिव्यय की परिकल्पना की गई है। रेलवे ने नेटवर्क असंकुचन, नेटवर्क विस्तार और सुरक्षा पर विशेष बल देते हुए 8.56 लाख करोड़ रुपए की पंचवर्षीय (2015-2019) निवेश योजना का प्रस्ताव किया है। आयोजना संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से निवेश किए जाने का लक्ष्य रखा गया है और प्रचालनात्मक रूप से महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सुनिश्चित वित्तपोषण प्रदान किया जा रहा है। इससे रेलवे को न केवल अवसंरचनात्मक बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी बल्कि रेल तंत्र की राजस्व अर्जन क्षमता में भी वृद्धि होगी।

## घ. नीति मूल्यांकन

53. वर्ष 2015-16 में, सरकार का राजकोषीय निष्पादन सभी पैरामीटरों पर अनुमान से अधिक अच्छा रहा है। इससे सरकार द्वारा अपनाई गई राजकोषीय नीति संबंधी रणनीति में विश्वास को पुनः बल मिला है, जिसने राजस्व पूंजी असंतुलन पर सुधारों के साथ-साथ राजकोषीय समेकन को अनिवार्य बना दिया है। सरकार ने नाममात्र की शर्तों पर निम्न राजकोषीय घाटे के भीतर अपने आपको सफलतापूर्वक व्यवस्थित रखा है। बदल में, राजस्व/प्रभावी राजस्व घाटे पर एपआरबीएम के लक्ष्य जो अभी हाल तक बेकाबू प्रतीत होते थे, अब प्राप्य सीमा के भीतर प्रतीत होती हैं। अनुमान है कि 2016-17 में नीति के जारी रहने पर सरकार 2017-18 में निर्धारित समय-सीमा के भीतर एपआरबीएम के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में अंततः सक्षम होगी।

54. कमजोर वैश्विक मांग और निजी निवेशों के बावजूद 2015-16 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 7.6 प्रतिशत की रही जो समष्टि अर्थव्यवस्था के मूलभूत अवयवों की सुदृढ़ी का द्योतक है। सरकार की 2016-17 को राजकोषीय नीति समर्थनकारी बनी रहेगी। वर्ष 2016-17 में विद्युत, रेलवे, राजमार्गों, ग्राम सड़कों, जलमार्गों के प्रमुख अवसंरचनात्मक क्षेत्रों के साथ-साथ पेयजल और स्वच्छता के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लक्षित किए गए सार्वजनिक निवेशों का उच्च स्तर अगले वर्ष उच्चतर आर्थिक वृद्धि के लिए और अधिक अनुकूल वातावरण सृजित करता रहेगा। अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल वैश्विक-आर्थिक वातावरण और घरेलू निजी क्षेत्र के भरोसे को बनाए रखने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशों और वृद्धि में नए मुकाम हासिल करने की पर्याप्त संभावनाएं हैं।

55. निष्कर्षतः, जबकि 2016-17 की राजकोषीय संभावना में वेतनों और पेंशनों पर पर्याप्त रूप से उच्च राजस्व व्यय की अपेक्षाओं के लिए प्रावधान करते हुए भी कहीं अधिक समेकन को हासिल करने की प्रत्याशा है, फिर भी इसमें कुछ गिरावट के जोखिम हैं। इन जोखिमों को कम करने के लिए, सरकार को गैर-कर राजस्वों पर शुरू की गई पहलों पर निर्णय करने, अनुमानित लक्ष्यों के अनुसार आस्तियों के विनिवेश/रणनीति बिक्री कार्यान्वित करने और सबसे बढ़कर, स्पेक्ट्रम नीलामियों, कम से कम चरणबद्ध तरीके से, का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी।